राजस्थान सरकार
निदेशालय, संस्कृत शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : निसंशि/लेखा-1/बजट/2015-16/ 2001 – 2351 दिनांक : 20/1/2016

1. आहरण वितरण अधिकारी,
   संस्कृत शिक्षा राजस्थान
   जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य/प्रधानाध्यापक
   राजकीय आचार्य/शास्त्री/वरिष्ठ उपाध्याय/
   प्रवेशिका संस्कृत/एसटीसी/महाविद्यालय/विद्यालय
   राजस्थान।
3. समस्त संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी
   संस्कृत शिक्षा, राजस्थान।

विषय :- बजट आवंटन तथा उपयोग के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये परिपत्रों आदेशों एवं विभागीय निर्देशों के क्रम में बजट आवंटन/उपयोग बाबत निम्न बिन्दुओं की पालना कड़ाई से किया जाना सुनिश्चित करावें।

1. बजट सम्बन्धी किसी भी प्रकरण में निदेशालय को प्रेषित किये जाने वाले पत्र में स्पष्ट रूप से बजट मद, प्लान अथवा नोन प्लान, संस्था कार्यालय ID नम्बर अंकित किया जावेगा। इसके अभाव में प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं होगा।
2. प्लान, नोन प्लान के लिए अलग-अलग पत्र प्रेषित किया जावेगा।
3. विद्यालयों में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वर्दी के बजट,सम्बन्धित सम्भाग कार्यालय द्वारा आवंटित किया जावेगा इस हेतु सम्भाग द्वारा इकजाही मांग निदेशालय में प्रस्तुत की जावेगी।
4. बजट मद जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पद स्वीकृत है उसके "विस्तृत बजट हेड 37 वर्दी" से ही वर्दी का भुगतान आहरित किया जावेगा। **किसी भी परिस्थिति में वर्दी भुगतान कार्यालय व्यय मद से नहीं किया जावेगा।**
5. संस्था/कार्यालय में कार्यरत कार्मिक का **वेतन,यात्रा भत्ता,चिकित्सा पुनर्भरण बिल उसी बजट मद से आहरित किया जायेगा, जिसमें इस हेतु उसका पद स्वीकृत है,** भिन्न बजट मद में उपलब्ध बजट से वेतन का आहरण किये जाने की स्थिति में विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसकी स्पष्ट रूप से सम्बन्धित आहरण-वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी नियत की जायेगी।
6. 01.01.04 या इसके पश्चात् नियुक्त हुए कार्मिकों के चिकित्सा परिचर्या बाबत मेडिक्लेम बीमा पालिसी के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अधिकृत TPA के माध्यम से राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग से पत्राचार किया जावेगा। ऐसे चिकित्सा प्रकरण निदेशालय/संभाग में प्रेषित नहीं किये जावे। इस हेतु कोई बजट मांग प्रेषित नहीं किये जावेंगें। सिविल सर्विसेज राजस्थान (चिकित्सा परिचर्या) नियम ऐसे कार्मिकों पर लागू नहीं है।
7. 01.01.04 से पूर्व नियुक्त हुए कामिकों के विशिष्ट चिकित्सा प्रकरणों में बजट आवंटन हेतु प्रकरण के साथ हास्पीटल चार्जेज के बिल, बाजार से क्रय की गई दवाईयाँ/जांचों के बिलों, एडमिट एवं डिस्चार्ज पत्रों की छायाप्रति मय सम्बन्धित चिकित्सा परिचारक द्वारा प्रमाणित परमावश्यकता प्रमाण-पत्र के प्रेषित किये जायेंगे, जिसमें **आईटम वाइज जैसे डाक्टर फीस, जांचे, एडमीशन/ रजिस्ट्रेशन, फीस, दवाई, ऑपरेशन थियेटर चार्ज, एनसथिसिया चार्ज, रूम रेन्ट, इम्पलान्ट सर्जरी पैकेज इत्यादि पर व्यय की गयी राशि एवं उसके विरूद्ध राज. सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमों के अनुसार देय पुर्नभरण योग्य राशि का तुलनात्मक विवरण तैयार किया जाकर प्रेषित किया जावेगा। इसके अनुसार ही शुद्ध बजट की मांग प्रेषित की जावेगी।**
8. आवंटित किये गये बजट का कार्यालय/संस्था में लम्बित बिलों के नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही अविलम्ब की जावेगी इसके अभाव में बजट को प्रत्याहरित किया जाकर अन्य संस्था/कार्यालय को आवटिंत किया जावेगा।

(शिल्पी कौशिक)
मुख्य लेखाधिकारी
संस्कृत शिक्षा राजस्थान
जयपुर